सं0 5703/ II–2006–07(04)/04

प्रेषक,

एस0 के0 दास
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून ।

सिंचाई विभाग

दिनांक, देहरादून, 21 दिसम्बर/06

विषय– सिंचाई विभाग के नियन्त्रणाधीन बीजापुर नहर पर स्थित 3 घराटों को हिमालयन इन्वायरमैन्टल स्टडीज एण्ड कन्वर्जन और्गेनाईजेशन (हैस्को) को 10 वर्ष हेतु लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में बीजापुर नहर पर स्थित तीन घराट कमशः गढ़ी घराट न0–01 एवं घराट न0–2 तथा डाकरा घराट न0–2, को अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून के पत्र सं0 4700/सि0ख0 /दिनांक 6–12–06 के द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार अस्थायी तौर पर प्रति वर्ष का शुल्क 5000.00 रुपये प्रति घराट की दर से निर्धारित करते हुए लीज अवधि अगले 10 वर्षो के लिए हिमालयन इन्वायरमैन्टल स्टडीज एण्ड कन्वर्जन और्गेनाईजेशन (हैस्को) को आवंटित करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त अवधि में घराटों के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य, जलकर, विद्युत कर, एवं किसी भी प्रकार के अन्य कर आदि के देयकों का भुगतान (हैस्को) द्वारा स्वयं वहन किया जायगा तथा लीज/अवधि समाप्त होने पर घराटों की लीज समाप्त होने वाली तिथि को यथास्थिति में ही सिचाई विभाग को वापस करना होगा

क्रमशः 2

शर्तें

1– घराट को लीज पर देने की अवधि 10 वर्ष होगी। लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त उसके नवीनीकरण/पुनः लीज दिये जाने पर मूल विभाग स्वतन्त्र होगा, और उसे लीज शर्तो एवं लीज शुल्क में बृद्वि /परिवर्तन किये जाने का अधिकार होगा।

2– प्रत्येक घराट को लीज अवधि में चलाना आवश्यक होगा एवं लीज की अवधि के मध्य यदि लीज धारक घराट को नहीं चलाता है या बन्द कर देता है, तो उसे लीज अवधि (10 वर्ष) तक का लीज शुल्क का भुगतान करना होगा। इस आशय का लिखित शपथ पत्र लीज धारक से ले लिया जाय।

3– लीज धारक द्वारा घराट किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा, एवं लीज धारक बिना मूल विभाग की सहमति के घराट को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/ सोसाइटी/फर्म आदि को हस्तान्तरित नहीं करेंगा।

4– प्रत्येक घराट की लीज शुल्क रु0 5000/– प्रति वर्ष प्रति घराट होगी जो अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड देहरादून में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

5– घराट की लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त लीज धारक द्वारा घराट को यथास्थिति में सिंचाई विभाग को सौंपा जायेंगा।

6– लीज धारक द्वारा घराट परिसर का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा और यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त शिकायत सही पायी जाती है तो लीज निरस्त कर दी जायेगी।

7– लीज धारक घराट परिसर को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने हेतु इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन/परिवर्द्वन करने के लिए स्वतन्त्र होगा, किन्तु इसकी ऐतिहासिक पहचान को बनाये रखना होगा, तथा लीजधारक घराट परिसर को अधिक से अधिक उपयोगी एवं बहुउद्देशीय बना सकता है किन्तु इसके लिए मूल विभाग की सहमति लेनी आवश्यक होगी। लीज समाप्ति के पश्चात घराट, भूमि एवं उस पर किया गया निर्माण स्वतः ही मूल विभाग में निहित हो जायेगा। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

8– घराट के संचालन एवं उसे बहुउद्देशीय बनाये जाने के कारण पेयजल / सिचाई में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने एवं पर्यावरण पर

विपरीत प्रभाव पडने पर लीज समाप्त करने का अधिकार मूल विभाग को होगा।

9– लीज शर्तो /प्रतिबन्धों का उल्लघंन होने पर या किसी अन्य विभाग/जन समुदाय के कारण विवाद होने पर जांचोपरान्त लीज समाप्त कर दी जायेगी। परन्तु उस वर्ष का पूर्ण शुल्क लीज धारक से बसूल किया जायेगा।

उक्त आदेश राजस्व विभाग, उत्तरांचल शासन की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

एस0 के0 दास
मुख्य सचिव।

सं0 5703/II–2006–07(04)/04 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मा0 मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ ।

3– निजी सचिव, राज्य मंत्री, सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग, उत्तरांचल शासन।

4– प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तरांचल शासन।

5– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।

6– जिलाधिकारी, देहरादून।

7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, उत्तरांचल देहरादून।

8– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।

9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबर्धन)
अपर सचिव।